



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 456 राँची, सोमवार,

6 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 अगस्त, 2025

संख्या-5/आरोप-1-16/2022-32680 (HRMS)--डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-415/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1022, दिनांक 07.04.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। डॉ० सुदेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- गिरिडीह जिला अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों के आधार पर उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1427 दिनांक-23.06.2018 द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 एवं जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या (प्रति 1000 पर) के आधार पर कुल 478 नए जन वितरण प्रणाली दुकानदार की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया, जो दैनिक जागरण के धनबाद अंक में दिनांक 28.06.2018 को प्रकाशित हुआ। उक्त प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आलोक में गिरिडीह जिला में कुल 107 जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए पूर्व में अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया। इस बीच डॉ० सुदेश कुमार का पदस्थापन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर हुआ। डॉ० सुदेश कुमार दिनांक 26.02.2020 से दिनांक 15.12.2020 तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के

पद पर पदस्थापित/प्रभार में कार्यरत रहे हैं। डॉ० कुमार द्वारा अपने पदस्थापन काल में दैनिक जागरण के धनबाद अंक में दिनांक 28.06.2018 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जनवितरण प्रणाली दुकानों का 216 नई अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की गई। डॉ० कुमार द्वारा अनुज्ञप्तियाँ निर्गत करने में की गई अनियमितताओं की जाँच निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी। समिति के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार डॉ० कुमार द्वारा निर्गत कुल 216 नई अनुज्ञप्तियाँ में 208 अनुज्ञप्तियाँ के निर्गत करने में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2017 की कंडिका-10(VI) एवं कंडिका-10 (VIII) का उल्लंघन किया गया है।

आरोप सं0-2- प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकानों में आनलाईन प्रक्रिया से खाद्यान्न के वितरण हेतु ई-पॉस मशीन अधिष्ठापित किया गया है। विभाग द्वारा ई-पॉस मशीन के Rental and Service Support हेतु प्रति दुकान प्रति माह रुपये 1350+GST@18% की दर से व्यय किया जाता है। डॉ० कुमार द्वारा उनके पदस्थापन काल में कुल 208 जन वितरण प्रणाली दुकानों का अनियमित अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की गई। इस प्रकार डॉ० कुमार के कृत्य के कारण प्रति दुकान प्रति माह रुपये 1350+GST@18% की दर से 208 अनियमित दुकानों हेतु ई-पॉस के Rental and Service Support के भुगतान पर (रुपये $1350 \times 208 = 280,800 + \text{GST@18\%}$) अर्थात् कुल 3,31,344 (तीन लाख इक्कतीस हजार तीन सौ चौवालीस) रुपये प्रति माह की दर से राजकोष पर आवर्तक दायित्व का सृजन किया गया है।

आरोप सं0-3- गिरिडीह जिला में जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या (प्रति 1000 पर) के आधार पर 478 जन वितरण प्रणाली दुकानों हेतु रिक्ति का आकलन कर अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिसके विरुद्ध कुल 323 (डॉ० सुदेश के पूर्व के पदाधिकारी द्वारा 107+ डॉ० सुदेश द्वारा 216) नए जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति जारी की गई। फलतः अवशेष रिक्ति $478 - 323 = 155$ होनी चाहिए। जबकि डॉ० सुदेश कुमार द्वारा वर्ष 2020 में पुनः जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या (प्रति 1000 पर) के आधार पर ही कुल 367 नए जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु रिक्ति आकलित कर अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराई गई। जो जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के नियमों का उल्लंघन है।

आरोप सं0-4- डॉ० सुदेश कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 2665 दिनांक 23.07.2020 द्वारा एक तरफ गिरिडीह जिले के सभी पणन एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों से जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई विज्ञप्ति निर्गत करने हेतु रिक्ति की मांग की गई एवं प्राप्त रिक्ति के आलोक में उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 3168 दिनांक 14.10.2020 द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया। दूसरी तरफ डॉ० सुदेश कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2020 से 14.10.2020 तक की अवधि में बड़ी संख्या में नए जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति जारी की जाती रही। सिर्फ 14.10.2020 को ही उनके द्वारा कुल 21 अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की गयी हैं। डॉ० कुमार द्वारा नए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में नए जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति जारी करना नियम के विरुद्ध है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2662, दिनांक 26.04.2022 द्वारा डॉ० सुदेश कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। डॉ० सुदेश कुमार के पत्रांक-421/नजा०, दिनांक 11.10.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

डॉ० सुदेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-19425(HRMS), दिनांक 04.03.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-488, दिनांक 06.06.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी डॉ० सुदेश कुमार के विरुद्ध गठित आरोप सं०-1 से 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

डॉ० सुदेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-415/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUDESH KUMAR JHK/JAS/290	डॉ० सुदेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-415/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: PTS/VET/646
